न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 48/2022

प्रार्थीगण :–

1 ओमसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत नि0 राजपूतों का बास, देवलीहुल्ला, तह0 सोजत, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 दशरथ कंवर पत्नि चेनसिंह
2 रामसिंह पुत्र कानसिंह
3 चेनसिंह पुत्र रामसिंह, जाति राजपूत नि0 राजपूतों का बास, देवलीहुल्ला, तह0 सोजत जिला पाली।
तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 31.08.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत् विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा सोजत देवलीहुल्ला, प0ह0 मुरडावा भू0अभि0निरी0 चण्डावल, तह0 सोजत जि0 पाली के खसरा नंबर 211, 213/905, 214/906, 217/907, 234, 239/904, 302, 494, 505, 509, 513, 514 कुल खसरा 12 कुल रकबा 7.5800 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के दादा कानसिंह पुत्र भैरूसिंह की खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वर्तमान खाता संख्या 331 के खसरा नंबर 214/906, 302, 514 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज है तथा शेष कृषि भूमि के वर्तमान खाता संख्या 244 अप्रार्थी संख्या 02 के नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज है। प्राथ्री के दादा कानसिंह पुत्र भैरूसिंह थे, जिनके निर्वसीयती स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी/वारिसान में अप्रार्थी संख्या 02 व अन्य बहिने सूरजकंवर, पारसकंवर, दरियावकंवर एवं पवन हुई, जिसमें से उतराधिकारी/वारिसान में पुत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 है व जगदीशकंवर, मीठूकंवर, मुन्नाकंवर, मनभरकंवर, सुखकंवर है। उक्त तमाम पांचो पुत्रियों के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा उनके सामाजिक विवाह इत्यादि कार्यक्रमों में संयुक्त रूप से खर्चा वहन किया था, इसलिए उन्होने वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक हिस्से को मौखिक रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को त्याग कर दिया था तथा वर्तमान में उक्त तमाम पुत्रीयां अपने ससुराल में ही निवास कर रही है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में उनका कोई हक हिस्सा निहित नही रहा। प्रा0 पत्र में वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि प्रार्थी के दादा कानसिंह पुत्र भैरूसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी, जिस कृषि भूमि में कानसिंह का निर्वसीयती स्वर्गवास हो जाने से अप्रार्थी संख्या 02 संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ताखानदान होने से स्वर्गीय कानसिंह के स्वर्गवास पश्चात राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 02 का नाम इन्द्राज किया गया है लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 तमाम संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है, जो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। प्रा0 पत्र में वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि प्रार्थी के दादा स्व0 कानसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी, तथा प्रार्थी स्व0 कानसिंह का पौत्र है, इसलिए वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी विरासत में प्राप्त कृषि भूमि होने से वादस्थ कृषि भूमि में कानसिंह का निर्वसीयती स्वर्गवास हो जाने से वादस्थ भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा निहित हो चुका है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में मात्र अप्रार्थी संख्या 2 कर्ताखानदान होने से इनका नाम इन्द्राज किया गया है, लेकिन उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 02 स्वअर्जित कृषि भूमि नही है, अप्रार्थी संख्या 02 को भी उक्त कृषि भूमि अपने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

पिता कानसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है, अर्थात उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की पैतृक पुश्तैनी विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस कृषि भूमि में प्रार्थी का कानूनन हक हिस्सा निहित हो चुका था। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के पिता है, तथा अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी का सगा भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 3 की पत्नि है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की पुत्रवधु है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की उम्र वर्तमान में 80 साल है , अप्रार्थी संख्या 2 की हमेशा से सही सेवा चाकरी भरण पोषण देखभाल इत्यादि प्रार्थी के द्वारा की जाती रही है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के साथ ही निवास करता रहा, अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता की हमेशा से ही अपने सामाजिक व नैतिक कर्तव्यो का बखूबी निर्वहन करता रहा है, अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी वृद्धावस्था में दोनो पुत्रो एवं परिवारजनो की उपस्थिति में यह कहा कि अब मेरी उम्र अत्यधिक हो चुकी है तथा भविष्य में उक्त भूमि को लेकर आपस में विवाद न हो, इसलिए उन्होने वर्ष 2008–09 मे परिवारिक सेटलमेंट कर परिवार जनो के समक्ष वादस्थ कृषि भूमि का मौखिक बंटवाड़ा कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 को मौखिक रूप से 1/2–1/2 हक हिस्सा अलग–अलग बंट कर काश्त हेतु सुपुर्द कर दी थी, तब से प्रार्थी वादस्थ कृषि भूमि के खसरा नंबर 214/906, 513, 514 सम्पूर्ण व खसरा नंबर 213/905, 239/904, 234, 302, 494, 505, 509 का 1/2 हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा अड़चन के शांतिपूर्वक तरीके से खुलम खुला आज दिनांक तक करता आ रहा है, जिसमें कभी भी अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य द्वारा कोई उज्र एतराज नही किया क्योकि खसरा नंबर 514 सम्पूर्ण रहवासी मकान में अपने बंट को मौखिक रूप से अप्रार्थी संख्या 03 चेनसिंह को दिया, तथा इसी तरह ग्राम देवलीहुल्ला में 91 की भूमि जो कि पिता रामसिंह की कब्जा काश्त की भूमि है, उक्त भूमि में भी प्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा चेनसिंह को मौखिक रूप से सुपुर्द कर दिया था, इसलिए चेनसिंह द्वारा खसरा नंबर 513, 514 की सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थी को सुपुर्द कर दी थी, तथा यह भी कहा कि भविष्य में कभी भी उक्त खसरा नंबर 513, 514 में किसी प्रकार के हक हिस्से की मांग नही करूंगा, तथा उक्त तमाम सम्पतियो बाबत लिखा पढी भी पारिवारिक स्तर पर निष्पादित की थी, जो लिखा पढी असल भी अप्रार्थी संख्या 3 के पास रख दी थी, जिसकी प्रति द्वारा भी प्रार्थी द्वारा मांग करने पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जानबूझकर नही दी, इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 सगा भाई होने से उस पर विश्वास एवं भरोसा किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 03 की नियतबद्ध हो चुकी थी, व प्रार्थी को पिता द्वारा मौखिक बंट में प्राप्त सम्पति को पुनः हड़प करने की नियत बना चुका था, चुंकि अप्रार्थी संख्या 02 पिछले करीब 15 वर्षो से वृद्धावस्था में होने से उक्त भूमि पर काश्त करनी बंद कर दी थी, तथा अपने दोनो पुत्रों को 1/2–1/2 हक हिस्से अलग–अलग बंट कर काश्त हेतु सुपुर्द कर दी थी। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पूर्व में पैतृक सम्पतियो का बंटवाड़ा किया जा चुका है। उसके बावजूद प्रार्थी के हक हिस्से को हड़पने की नियत से बिना प्रार्थी की सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये बाले बाले प्रार्थी के बंट व हक हिस्से की कृषि भूमि खसरा नंबर 214/906, 302, 514 की भूमि विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के के नाम से कब्जे के अभाव में अप्रार्थी संख्या 2 से बेचान पंजीयन करवा दिया, तथा उक्त बेचान के आधार पर बाले बाले राजस्व रेकर्ड में कब्जे के अभाव में अपने नाम नामान्तरण इन्द्राज करवा दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 अप्रार्थी संख्या 02 की पुत्रवधु है तथा अप्रार्थी संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 02 पुत्र होने से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम बेनामी रूप से बेचान रजिस्ट्री का बवाला देते हुए दस्तावेज पंजीयन करवा दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 से जो दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पंजीयन करवाया है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी व कब्जा काश्त की होने से उक्त बेचान दस्तावेजात दिनांक 20.10.2021 प्रार्थी के हक अधिकारो के विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य अवैध एवं निष्प्रभावी है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 02 को भी उक्त सम्पूर्ण खसरा की कृषि भूमि को कतई बेचान हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था, चूंकि उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, तथा उक्त बेचान के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जो राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 1187 दिनांक 28.01.2022 को अमल दरामद किया जा है, वह नामान्तरण भी शून्य एवं अवैध है, नामान्तरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिसे किसी भी पक्षकार के हक अधिकार तय नही किये जा सकते है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 को सम्पूर्ण आराजीयात का मौखिक बंटवाड़ा कर 1/2–1/2 हक हिस्सा सुपुर्द कर दिया था, जिससे स्वयं अप्रार्थी संख्या 3 व 1 एस्टोप्ड है। उसके बाद भी अप्रार्थी संख्या 2 उपरोक्त कृषि भूमि

उप खण्ड अधिकारी
सांजत (जिला-पाली) राज.

में अपने 1/3 हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान हस्तानान्तरण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो बेचान अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पंजीयन करवाया है, वह सम्पूर्ण खसराजात की भूमि का होने से भी कूननन शून्य एवं निष्प्रभावी है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बेचान की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा पिता अप्रार्थी संख्या 2 से सम्पर्क किया तो उन्होने उक्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा मानने से कतई इन्कार नही किया तथा बेचान की जानकारी होने से अनभीज्ञता जाहिर की। जिस पर प्रार्थी द्वारा पुनः अप्रार्थी संख्या 1 से 3 मिलकर सम्पूर्ण वादस्थ भूमि का आपसी सहमति से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने हेतु निवेदन करने पर भी साफ इन्कार हो गये तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 3 द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया धमकिया देने लगे कि तुम्हारे हिस्से की भूमि हमने बेचान कर दी। शेष रही भूमि भी अप्रार्थी संख्या 2 से हमारे नाम करवा देंगे। तुम कुछ नही बिगाड़ सकते जो करना है कर लो। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा विधि विरूद्ध कृत्य करने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नही है। चूंकि वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक होने से प्रार्थी का कानूनन 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि की घोषणा करवाकर अप्रार्थीगण से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। अतः प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण संख्या 01 वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में निष्पादित बेचान के आधार पर अन्य विक्रय हस्तानान्तरण नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 02 वादस्थ भूमि का अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण, रहन, वसीयत इत्यादि नही करे और अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 वादस्थ भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से में कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही अन्य से कराये जाने की ईश्तदुआ की है।

इसलिए यह प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण राज0 काश्त0 अधि0 212 का पेश किया है। इस प्रकार अधिक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात् पेश कर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि सरहद मौजा सोजत देवलीहुल्ला, प0ह0 मुरडावा भूअभि0निरी0 चण्डावल, तह0 सोजत जि0 पाली के खसरा नंबर 211, 213/905, 214/906, 217/907, 234, 239/904, 302, 494, 505, 509, 513, 514 कुल खसरा 12 कुल रकबा 7.5800 है0 कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, बक्सीस, रहन, हस्तान्तरण इत्यादि करने से रोका जाकर तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से रोका जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। प्रस्तुतीकरण तिथि दिनांक 09.03.2022 को अधिवक्ता प्रार्थीया को विधिक प्रक्रियानुरूप सुनकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए सरहद मौजा सोजत देवलीहुल्ला, प0ह0 मुरडावा भूअभि0निरी0 चण्डावल, तह0 सोजत जि0 पाली के खसरा नंबर 211, 213/905, 214/906, 217/907, 234, 239/904, 302, 494, 505, 509, 513, 514 कुल खसरा 12 कुल रकबा 7.5800 है0 कृषि भूमि में आगामी आदेश तक बेचान, रहन अन्य हस्तांतरण आदि करने से अप्रार्थीगण को रोका जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया मूल वाद में सामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 04 ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर पैरा संख्या 02 में वर्णित भूमि सरहद मौजा देवली हुल्ला में होना स्वीकार किया है। पैरा संख्या 01, 03, 04 वादी स्वयं साबित करे, पैरा संख्या 05 से 11 कानूनी होना बताया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दिनांक 19.05.2022 को जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थी ने राजस्व वाद बिल्कुल ही गलत, आधारहीन, मिथ्या व बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया है जिसमें प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। प्रार्थी ने सरहद मौजा देवली हुल्ला प0ह0 मुरडावा के राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी सम्वत 2044 के अनुसार खसरा नंबर 211, 213/905, 214/906, 217/907, 234, 239/904, 302, 494, 505, 509, 513, 514 कुल खसरा 12 कुल रकबा 7.5800 है0 कृषि भूमि कानसिंह पुत्र भैरूसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की होना बताया है, जो प्रार्थी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। उक्त कृषि भूमि पर खरीदकर्ता अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 214/906,

उप खण्ड अधिकारी

302, 514 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज के कथन किये है, जो गलत है। कतई विधि विरूद्ध इन्द्राज नहीं हुआ है। शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम इन्द्राज सुदा है, जो सही है। खसरा नंबर 214/906 रकबा 0.4600 है, खसरा नंबर 302 रकबा 1.6100 है0 खसरा नंबर 514 रकबा 0.6800 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.7500 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 02 से खरीद किया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 बोनाफाईट पर्चेजर है तथा उक्त कृषि भूमि पर बतौर रेकर्डेड खातेदार है तथा शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा किया जा रहा है। कानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। कानसिंह के वारिसान अप्रार्थी संख्या 02 एवं सूरजकंवर, पारसकंवर, दरियाव कंवर एवं पवन अवश्य है। दरियाव का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 02 के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 अवश्य है इनके अलावा पुत्रीया जगदीश कंवर, मीठूकंवर, मुन्नाकंवर, मनभर कंवर, सुखकंवर है तथा इनकी शादी समारोह आदि का सारा खर्चा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ही वहन किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम खातेदारी दर्ज सुदा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 02 की उक्त पुत्रियों के द्वारा मौखिक रूप से हक त्याग करने के कथन गलत एवं झूठ है। अपनी पुत्रियो के सामाजिक कार्यक्रम एवं उनके शादी समारोह व विवाह के समय अप्रार्थी संख्या 02 पर भारी कर्जा होने से व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को कोई सहयोग नही देने व न ही अप्रार्थी संख्या 02 की सेवा चाकरी करने से अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त कृषि भूमि को बेचान कर प्राप्त प्रतिफल राशि से कर्जा चुकता किया गया है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी कानसिंह की खातेदारी होना बताया जो प्रार्थी स्वयं साबित करे। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है न ही कभी कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने दोनो पुत्रों को 1/2-1/2 हक हिस्से अलग-अलग बंट कर काश्त हेतु सुपुर्द कर दी थी जो कथन सरासर गलत है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता ही नही है। तो 1/2 हिस्सा अलग कर सुपुर्द करने के कथन गलत एवं झूठे हैं जब प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है ही नही तो 1/2 हिस्सा पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की कोई नियत बद्ध नही हुई है। अप्रार्थी संख्या 02 को रूपयो की जरूरत होने व अपने उपर कर्ज को चुकता करने के लिए उक्त भूमि का बेचान करना पड़ा। वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 02 की कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें से अप्रार्थी संख्या संख्या 02 द्वारा बेचान की गई कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित करवायी गई है। उक्त रजिस्ट्री को निरस्त करवाये बिना प्रार्थी किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 1187 दिनांक 28.01.2022 सही अमल दरामद हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्डेड खातेदार है। शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कब्जा काश्त की है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कभी भी किसी प्रकार की कोठ धमकिया नही दी है। अप्रार्थी संख्या 02 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि को बेचान करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर 1/2 हिस्सा पर न तो कब्जा है, न ही 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थी ने अपना 1/2 हिस्सा होना बताया है जो सरासर गलत एवं झूठा है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में कतई नही बनता है। प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने के कथन सरासर गलत एवं झूठ है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त भूमि का 1/2-1/2 हिस्सा बांटकर देने के कथन गलत एवं झूठ है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थी के साथ किसी प्रकार से कोई छल कपट नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीदसुदा कृषि भूमि पर प्रार्थी का कोई काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 बोनाफाईट पर्चेजर है तथा खरीद की गई कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार काबिज काश्त है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है तो प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अप्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कतई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। अतः जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रा0 पत्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि सरहद मौजा सोजत देवलीहुल्ला, प0ह0 मुरडावा भूअभि0निरी0 चण्डावल, तह0 सोजत जि0 पाली के खसरा नंबर 211, 213/905, 214/906, 217/907, 234, 239/904, 302, 494, 505, 509, 513, 514

उप खण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज.)

कुल खसरा 12 कुल रकबा 7.5800 है0 कृषि भूमि सजरा वंशावली अनुसार प्रार्थी के पुश्तैनी व पैतृक कब्जे काश्त की है, जो अविभाजित है, जिसमें प्रार्थी का भी 1/3 हक हिस्सा है। इसलिए प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को बेचान, रहन अन्य हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदारजी करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी को रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 01 अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि में रेकर्डेड खातेदार है तथा अपनी उक्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि को बेचान करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर 1/2 हिस्सा पर न तो कब्जा है, न ही 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थी ने अपना 1/2 हिस्सा होना बताया है जो सरासर गलत एवं झूठा है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त भूमि का 1/2–1/2 हिस्सा बांटकर देने के कथन गलत एवं झूठ है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थी के साथ किसी प्रकार से कोई छल कपट नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीदसुदा कृषि भूमि पर प्रार्थी का कोई काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 बोनाफाईट पर्चेजर है तथा खरीद की गई कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार काबिज काश्त है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाता है तो प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीया कतई खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नही है न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र ज0प्रा0 पत्र अधिवक्ता मय अप्रार्थी फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण दृष्टांतों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा दावे के निर्णय तक विवादित भूमि को हस्तान्तरण नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। मूल वाद में जबाब दावा पेश होकर तनकियात कायमी पश्चात साक्ष्य सबूतो एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का विवचेन / विश्लेषण के पश्चात प्रार्थिया के हक अधिकारों का विनिश्चय संभव हो सकेगा। वादस्थ भूमि का अप्रार्थी स्वयं खातेदार काश्तकार है , फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। हस्तगत प्रा0 पत्र के प्रकरण में मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारीह अधिनियम 1955 सारहीन तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.